Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): On a point of information. I support the recommendation of the committee that these Members should be granted leave. But I want some information about hon. Members who have fallen ill. Of course, the House is naturally concerned about the four Members who have fallen ill and who have asked for leave up to the end of this session. I hope their illness is nothing to be worried about.....

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): Nothing to be worried about.

Shri Hari Vishnu Kamath: ..... because they have asked for leave up to the end of the session.

Shri Nambiar: There is nothing to worry about. (*Laughter*).

Shri Hari Vishnu Kamath: It is not a matter for laughter. We do not know the position, because it is a long period of leave which has been asked for and recommended, and they have asked for leave in advance up to the end of the current session. That means that they have asked for leave for more than a month. I hope that they are well looked after and well treated, and they will come here for the next session.

Mr. Speaker: We hope that the illness would end during the recess.

Is it the pleasure of the House that the recommendations of the Committee be accepted?

Several Hon. Members: Yes.

Mr. Speaker: The Members would be informed accordingly.

12.08 hrs.

RE: STATEMENT BY PRIME MINISTER

अध्यक्ष महोदय : दि प्राइम मिनिस्टर ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं । मैं समझता था कि एजेंडा पर प्रधान मंत्री के बयान का जिक्र होगा । लेकिन यह बात दिमाग में रखते हुए कि जब डा० लोहिया का निष्कासन हुआ, तो यह बात चल रही थी कि प्रधान मंत्री सदन में एक बयान देंगे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह उन्हीं बातों पर बयान देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : वह बयान देने वाले हैं ।

श्री रामसेवक यादव : वह बयान किस विषय पर है, यह जानकारी लेने का हम को हक है ।

अध्यक्ष महोदय : यही जानकारी तो मैं दे रहा हूं कि उसी के सम्बन्ध में है ।

श्री रामसेवक यादव : तो उस के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस मुद्दे को ले कर इस सदन में माननीय संसद्-कार्य मंत्री, श्री सत्य नारायण सिंह, ने वचन दिया और इस सदन में इस हद तक मामला चला गया कि माननीय सदस्य, डा० राम मनोहर लोहिया, का निष्कासन हुआ, अब उसी मुद्दे पर, उन्हीं बातों पर, प्रधान मंत्री का बयान इस लिये बेमतलब हो जायेगा कि जिन माननीय सदस्य ने उस मुद्दे को उठाना चाहा था, उन के इस सदन में न रहने से उस पर बहस न होगी और प्रश्न नहीं किये जा सकेंगे । जिस सवाल को ले कर एक माननीय सदस्य इस सदन से निष्कासित किये गये, उन की अनुपस्थिति में उस सवाल का जवाब देना अनुचित होगा ।

मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ने इस सदन में एक बार बाढ़ के प्रश्न को उठाया था, परन्तु उस को नहीं उठाने दिया गया और आप की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मुझे सदन से निकाल दिया गया । उस के बाद उसी बाढ़ की समस्या पर इस सदन में बहस हुई । आज इस सदन में उसी स्थिति की पुनरावृत्ति हो रही है कि जिस विषय को ले कर एक सम्मानित सदस्य को सदन से निकाला गया हो, उसी विषय पर उन्हीं माननीय सदस्य की पीठ के पीछे प्रधान मंत्री का बयान हो ।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि या तो सम्बन्धित माननीय सदस्य को इस सदन में आने दिया जाये और प्रधान मंत्री अपना बयान आज चार बजे दें, ताकि माननीय सदस्य यहां आ कर इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकें। अगर प्रधान मंत्री और सदन को इस में कोई आपत्ति हो, तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि जहां इतने दिन तक यह मामला टला—प्रधान मंत्री को चाहिए था कि वह यहां उपस्थित रहते, क्योंकि भाषण देने और डिग्री लेने से इस सदन में उपस्थित रहना ज्यादा जरूरी है और अगर वह सदन में उपस्थित रहते, तो माननीय सदस्य, डा० लोहिया, द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देते और इस प्रकार इतना विवाद न उठता—तो जब अगला सेशन शुरू होगा, उस वक्त वह अपना बयान दें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने दो बातें उठाई हैं। उन का कहना है कि या तो डा० लोहिया के सस्पेंशन, मुअत्तिली, के आर्डर को तब्दील कर दिया जाये और यह बयान आज चार बजे हो, ताकि वह इस में भाग ले सकें और अगर यह हाउस ऐसा करने के लिए तैयार न हो, . . .

श्री रामसेवक यादव : सरकार।

अध्यक्ष महोदय : सरकार का क्या सवाल है। मुअत्तिली का सवाल तो हाउस का है।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : यह तर्क का प्रश्न है, प्रस्ताव नहीं है कि हाउस के सामने आ जाये 'हां' या 'नहीं' के रूप में।

अध्यक्ष महोदय : कल हाउस ने फैसला कर लिया है।

श्री मधु लिमये : तर्क का फैसला तर्क से होना चाहिये या नहीं। तर्क का जवाब क्या है।

श्री रामसेवक यादव : मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री और संसद्-कार्य मंत्री क्या कहना चाहते हैं उस के बारे में प्रश्न उठाया जाये।

श्री किशन पटनायक (संबलपुर) : प्रधान मंत्री का क्या कहना है। और जो डिग्री लेने चले गये उस के सम्बन्ध में उन का क्या कहना है।

अध्यक्ष महोदय : अगर दोनों माननीय सदस्य एक वक्त पर बोलेंगे तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। (*Interruptions*) श्री यादव ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया लेकिन जब मैं जवाब देता हूं तो उस को वह सुनने के लिये भी तैयार नहीं हैं। व्यवस्था का प्रश्न यह उठाया गया है कि इस सम्बन्ध में जिन मेम्बर ने नोटिस दिया था वह आज मौजूद नहीं हैं क्योंकि इस सदन के फैसले के अनुसार उन को मुअत्तिल कर दिया गया है। माननीय सदस्य ने कहा कि या तो जिस समय प्रधान मंत्री जवाब दें उस समय उन सदस्य को बुला लिया जाये और वह यहां मौजूद रहें उस वक्त ताकि वह भी बहस में भाग ले सकें, या प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहां इतनी देर की है वहां आज भी बयान न दें और इस का वक्त जब आगे आये तो बयान हो जिस में कि वह सदस्य बहस में हिस्सा ले सकें। यही दो बातें कही गई हैं न।

पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि इस का जवाब उस दिन हो चुका और मैं ने अपना विचार जाहिर कर दिया था कि वह गवर्नमेंट का कहना नहीं है। वह मेरे साथ ताल्लुक रखता है या हाउस के साथ, और उस को लेना अब मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज जो आप चाहते हैं वह सवाल भी, मेरे खयाल में प्रधान मंत्री का बयान हो जाये उस के बाद हो सकता है कि आया इस पर चर्चा हो या न हो। गवर्नमेंट के रवैये का पता चलेगा कि आया वह चर्चा करने को तैयार है या नहीं। अगर यह मालूम हुआ कि वह चर्चा के लिये तैयार है तो यह सवाल जो अगला सेशन आयेगा उस में भी हो सकता है। उस समय डा० लोहिया भी यहां होंगे और वह उस में भाग ले सकते हैं। अगर यह बात हुई कि चर्चा यहां न हो तो किसी के उस में भाग लेने का

[अध्यक्ष महोदय]

सवाल पैदा नहीं होता है इसलिये पहले हम वह बयान सुन लेते हैं उस के बाद पता चलेगा कि आया चर्चा होगी या नहीं ।

श्री रामसेवक यादव : एक बयान हो चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं । क्या मैं गवर्नमेंट से कह दूं कि वह बयान न दे, आप यह चाहते हैं ।

श्री रामसेवक यादव : जी हां, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि या तो पहली बात हो या दूसरी बात हो ।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : अध्यक्ष महोदय, . . .

अध्यक्ष महोदय : अभी मैं कहना चाहता हूं, आप बाद में कह लें ।

श्री मधु लिमये : मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी के बयान पर विचार करने के पहले मैं ने जो तीन सवाल उठाये उन के बारे में आप से कुछ खुलासा चाहता हूं । पहला तो विशेषाधिकार का प्रश्न था । . . .

अध्यक्ष महोदय बयान तो अभी आया नहीं ।

श्री मधु लिमये : आप पहले मेरी बात सुन लीजिये, उस का खुलासा कर दीजिये, फिर मैं बैठ जाता हूं । एक तो विशेषाधिकार प्रस्ताव मैं ने संसद्-कार्य मंत्री के खिलाफ दिया था क्योंकि उन्होंने वादा फरामोशी की । यह मैं ने नियम 222 के अन्तर्गत दिया था । फिर अध्यक्ष के निर्देश संख्या 115 के अन्तर्गत मैं ने परसों गृह मंत्री श्री नन्दा ने जो गलत बयानी की थी उस की ओर आपका ध्यान खींचा था । इस बारे में मैं आप से स्पष्टीकरण चाहता हूं । दूसरी बात यह कि परसों जब कार्रवाई हुई तो आप ने बहस के दौरान ब्रिटेन का उदाहरण दिया था और कहा था कि जो निन्दा का प्रस्ताव होता है उस के बारे में तारीख देना या न देना सरकार के अधीन है । इस के बारे में मैं कह सकता हूं कि आप ने जो ब्रिटेन का उदाहरण दिया था उस में और इस केस में फर्क है । ब्रिटेन में पहले से इन्कार कर रहे हैं लेकिन इस संसद् में तो मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि प्रधान मंत्री जी के लौटने पर उन से परामर्श कर के और उन की सहूलियत के अनुसार तारीख निश्चित की जायेगी । इसलिये आप के द्वारा ब्रिटेन का प्रश्न उठाने से सदन प्रभावित हो गया । उस बारे में भी मैं आप का खुलासा चाहता हूं । जब ब्रिटेन का केस अलग है और यहां स्पष्ट वचन दिया गया है, आश्वासन दिया गया है, तो दो चीजों को मिलाना और सदन पर प्रभाव डालना कुछ अनुचित मालूम पड़ता है । मैं जानता हूं कि आप ने जान बूझ कर ऐसा नहीं किया, फिर भी मैं इस बारे में खुलासा चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : पहली चीज तो यह कि यह एक अजीब बात करना होगा कि एक दिन हम एक फसला लें फिर दूसरे दिन उस पर बहस की जाये और उस के लिये कहा जाये कि यह अनुचित था और यह ठीक नहीं हुआ था । उस के ऊपर खुलासा मांगा जाये । यह तो कभी हो नहीं सकता । उस को मैं खोल नहीं सकता । दूसरा सवाल है प्रिविलेज मोशन का । मैं ने उसे देखा और उस से इन्कार कर दिया । उस में कोई प्रिविलेज मोशन बनता नहीं । तीसरी बात है रूल 115 की । मैं इस का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि वह बात गलत है कि मैं ने उन से कोई जवाब मांगा है । तीनों चीजें खत्म हुई ।

अब अगर प्रधान मंत्री कोई जवाब देना चाहते हैं तो दें ।

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): If you permit me, I shall make a brief statement.

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, आप से मैं ने प्रश्न पूछा था और मेरे दो सवाल थे । उन का निर्णय मैं जानना चाहता हूं । प्रधान मंत्री उस के बारे में जवाब दे रहे हैं या अपना बयान दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन को जवाब दे लेने दीजिये, उस के बाद जो कुछ आप कहना चाहेंगे, मैं सुन लूंगा ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, .

अध्यक्ष महोदय : एक आदमी बोल रहा है दूसरा भी उसी के साथ बोलता है ।

श्री राम सेवक यादव : मेरा ऐतराज है प्रधान मंत्री के बयान पर अगर उसका सम्बन्ध उन के अपने बयान से है, लेकिन अगर वह मैंने जो दो प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर देते हैं तो मैं उसे सुन रहा हूं ।

श्री मधु लिमये : डा० लोहिया को बुलाया जाये । उसके बाद मैं बयान सुनने के लिये तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । जहां तक डा० लोहिया के बुलाने का ताल्लुक है, उसका जवाब तो मैं उस दिन दे चुका हूं और वही मेरा जवाब आज भी है । उसके अलावा और कुछ नहीं । प्राइम मिनिस्टर को मैं इस तरह से रोकने के लिये तैयार नहीं हूं कि वह कोई बयान नहीं दे सकते । प्राइम मिनिस्टर लीडर आफ दि हाउस हैं । वह जिस वक्त बयान देना चाहें दे सकते हैं । उनको रोकना मेरे अख्त्यार में नहीं है ।

श्री मधु लिमये : डा० राम मनोहर लोहिया के बाहर रहते हुए मैं यह मानता हूं कि मौजूदा सरकार का आधार वाद-विवाद से भागना है और इस सवाल को टालना है ।

अध्यक्ष महोदय : बस अब आप सुनिये ।

श्री रामसेवक यादव : मैं जानना चाहता हूं कि वह मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं या अपना बयान दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बयान सुनूंगा तब इसका पता चलेगा । (*Interruptions.*) मेम्बर साहबान रुकावट न डालें ।

श्री रामसेवक यादव : प्रधान मंत्री का बयान किस बात पर हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि मेम्बर साहब रुकावट न डालें ।

श्री रामसेवक यादव : मैं रुकावट नहीं डाल रहा हूं । मैं यहां संसदीय प्रणाली चलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि नियमानुसार काम चले । किसी को सताकर और बहस से भागकर काम न चले । पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाये कि प्रधान मंत्री क्या बयान देना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : बयान सुनने के बाद मैं उसको देखूंगा । लोग एक साथ न बोलें । (*Interruptions.*)

श्री रामसेवक यादव : मेरा आपसे निवेदन है कि पहले उनका जवाब मिलना चाहिये फिर आगे काम चलेगा ।

श्री मधु लिमये : मैं बयान का विषय जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, यादव साहब, मैं कई दफे कह चुका हूं कि इतने माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं और दो माननीय सदस्य एक साथ एक वक्त में बोले चले जाते हैं, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनते और कार्रवाई को आप चलने नहीं देते । लीडर आफ दि हाउस को यह हक हासिल है, उसका प्रिविलेज है, कि अगर वह कोई बयान देना चाहते हैं तो वह किसी वक्त दे सकते हैं । मैं उनको रोक नहीं सकता ।

श्री मधु लिमये : विषय क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : बयान के बाद उसका विषय हर एक को पता लग जायेगा ।

श्री रामसेवक यादव : मैं उस हक के खिलाफ नहीं जाता, मैं यह कभी नहीं कहता कि प्रधान मंत्री को अधिकार नहीं है बयान देने का । लेकिन मैंने जो दो मुद्दे उठाये और उनके बारे में आपसे भी पूछा । मैं पहले उनका उत्तर चाहूंगा कि क्या प्रधान मंत्री इस बात के लिये तैयार हैं कि वह आज बयान न देकर उन मुद्दों का उत्तर बाद में दें जिनके बारे में इस सदन के सम्मानित सदस्य को निष्कासित किया गया । अगर यह बात उनको मंजूर नहीं तो बतला दें कि उनका बयान किस बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : जब वह बयान देंगे तो पता लग जायेगा ।

श्री रामसेवक यादव : मेरा सवाल स्पष्ट है, अगर उसका भी उत्तर नहीं दिया जाता तो इस तरह से कैसे हमारी कार्रवाई चलेगी ।

अध्यक्ष महोदय : अब क्या आप काम नहीं चलने देंगे ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर सदन अड़ंगा लगाना चाहता है तो कैसे काम चल सकता है । इसका पता नहीं चला है कि बयान किस बात के ऊपर हो रहा है ।

श्री क० ना० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब लीडर आफ दि हाउस बोलें या किसी सदस्य को बोलने की इजाजत आप दें तो कुछ सदस्य बार बार बाधा डाल कर उसको न बोलने दें फिर भी वह सदन में रहें क्या उचित है ?

श्री किशन पटनायक : श्री तिवारी के प्रश्न के उत्तर में मुझे यह निवेदन करना है .....

Shri Raghunath Singh (Varanasi): This is too much. There should be a limit. He should be named.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): Because some of us are not in the habit of raising points of order, we hardly can get a word edgewise, in between. I wanted to make a submission on what is going on here, but was not enabled to.

श्री रामसेवक यादव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय : तो आप काम नहीं चलने देंगे क्या ।

श्री रामसेवक यादव : मैं इस तरह से बिल्कुल काम नहीं चलने दूंगा । मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । श्री रामसेवक यादव इस सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं ।

Shri Raghunath Singh: Yes.

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री मधु लिमये : सवाल का फैसला क्या संख्या बल से किया जायेगा या न्याय की बात भी होगी ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला है .....

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय सदस्य का जो कि इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं नाम लेकर कहूंगा कि श्री रामसेवक यादव जान बूझ कर, परसिस्टेंटली और लगातार हाउस की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं इस वास्ते मैं उनको कहूंगा कि वे सदन से बाहर चले जायें ।

Shri Ram Sewak Yadav**

(Shri Ram Sewak Yadav then left the House).

**Not recorded.

Shrimati Savitri Nigam (Banda): His remarks should be expunged. (*Interruptions.*)

Shri J. P. Jyotishi (Sagar): Whatever he has said should be expunged.

Mr. Speaker: These words need not be put in the proceedings

12.22 hrs.

STATEMENT *RE*: GOVERNMENT'S POSITION ON CHINESE AGGRESSION

Mr. Speaker: The Prime Minister.

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): Dr. Ram Manohar Lohia and Sarvshri Prakash Vir Shastri and S. M. Banerjee have expressed the view in their Motion that there have been some contradictory statements regarding China's aggression and claims on our territory. I cannot help feeling that this is based on some misunderstanding and I, therefore, take this opportunity of restating our position on this question in order to remove any such misunderstanding.

Some time after the Chinese had committed aggression on our borders, the Colombo Proposals were formulated by certain friendly countries. The Government of India accepted these proposals, but the Chinese Government did not do so. Later, the Ceylonese Prime Minister consulted us on the question of Civilian Check-Posts in the demilitarised zone of Ladakh. In reply the Government of India indicated their willingness to agree to there being no posts of either side in the said demilitarised zone. Since then there have been no further developments. In this context, the question of any negotiations does not arise at present.

The Government of India believe in the pursuit of peace and in settlement by mutual discussions, provided always that such discussions can be held consistently with the honour and dignity of the country.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Sir, on a point of clarification. Does the Government, adhere firmly to the policy laid down earlier in the time of the late Prime Minister—many of us on this side differ from that policy also, but at least that minimum which they proclaimed then—that they will not depart a jot or a tittle from the Colombo proposals and, if it is not so, to what extent is the Government proposing to climb down?

Shri Lal Bahadur Shastri: Our position in regard to the Colombo proposals is quite clear. We stick to what the late Prime Minister had said, that we cannot go beyond what the Colombo proposals contain.

श्री मधु लिमये (मुंगर) : इधर एक अर्से से चीन को लेकर हमारी सरकार एक फिसलन के रास्ते पर चल रही है । प्रधान मंत्री ने कई बार कहा था कि जब तक चीन हमारे प्रदेश से हट नहीं जाता है तब तक उनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी । लेकिन हमने देखा कि फिर 8 सितम्बर को सीमा की बात चली । उसके बाद यह कोलम्बो प्रस्ताव आये फिर उसके बाद यह नया सुझाव आया है कि अगर हिन्दुस्तान अपनी वहां चेकपोस्ट नहीं बनायेगा तो चीन भी और चक पोस्ट्स नहीं बनायेगा और इस तरह बातचीत हो सकती है । इस तरह एक फिसलन के रास्ते पर हम जा रहे हैं । यह भी कहा जाता है कि अणु विस्फोट करके चीन ने

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सवाल कर लें इस तरह से भाषण न देते चले जायें ।

श्री मधु लिमये : यह कहा गया कि चीन ने अणु विस्फोट करके मानव जाति का अपमान किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार चूंकि चीन ने समस्त मानव जाति के विचारों और राय का यह